न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या--87 / 2015--16

नरेश कुमार वगैरह बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
09/06/18	**आदेश** आवेदकगण के द्वारा यह वाद फुलवारीशरीफ अंचल अंतर्गत मौजा कुरकुरी थाना नं0 36, खाता सं0 263, खेसरा सं0 409 रकबा 17डी0 के लिए विपक्षीगण की कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु दायर किया गया है। इस वाद में विपक्षीगण के द्वारा दिनांक 17.09.2016 को लिखित जबाब दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 26.08.2017 के बाद आवेदक उपस्थित नहीं हो रहे है। दिनांक 20.09.2017, 15.11.17, 03.01.18, 27.02.18, 07.04.18 को निर्धारित सुनवाई की तिथि को आवेदक अनुपस्थित रहे। दिनांक 03.01.18 को आवेदक को अंतिम मौका दिया जा चुका है। आवेदक आज भी अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि आवेदकगण को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। **आवेदन का अवलोकन किया। आवेदन के अनुसार :--** (1) मौजा--कुरकुरी, खाता नं0 263, खेसरा सं0 409, एराजी--20डी0 सर्वे खतियान में वंशी महतो के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत वंशी महतो के द्वारा खेसरा सं0 409 एराजी 20डी0 एवं खेसरा सं0 647 एराजी 11डी0 कुल 31डी0 की बिक्री रामानंद सिंह, पिता नीत लाल महतो को दिनांक 05.06.1930 के अनिबंधित केवाला से कर दी गयी तथा दखल दे दिया गया। (2) अपने जीवन काल में रामानंद सिंह खरीदगी भूमि पर दखलकार रहे। अपने पीछे चार पुत्र दीनानाथ सिंह, चन्द्रमा सिंह, लालजी सिंह एवं तुलसी सिंह को छोड़कर मर गये। (3) चन्द्रमा सिंह की मृत्यु 1966 में तथा उनकी पत्नी मुनेश्वरी देवी की मृत्यु 1978 में हो गयी। माता पिता की मृत्यु के उपरान्त उनकी पुत्री रेखा देवी के द्वारा पारिवारिक सम्पति में चौथाई हिस्से के लिए टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 32 / 1988 रेखा देवी बनाम दीना नाथ सिंह वगैरह दायर किया गया। प्रश्नगत खेसरा सं0 409 एराजी 20डी0 उक्त टाईटिल पार्टीशन सूट के अन्तर्गत था। (4) उक्त टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 32 / 88 में दिनांक 07.04.1990	

को सब जज–1, पटना के द्वारा डिक्री दी गयी, जिसके विरूद्ध दीनानाथ सिंह वगैरह के द्वारा टाईटिल अपील सं0 66/1990 दायर की गयी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–IV पटना के द्वारा दिनांक 09.08.1995 को अपील निरस्त कर दी गयी तब दीनानाथ सिंह वगैरह के द्वारा उच्च न्यायालय, पटना में द्वितीय अपील सं0 261/1995 दायर की गयी, जो दिनांक 25.02.1997 को अस्वीकृत कर दी गयी।

(5) द्वितीय अपील नं0 261/1995 के निरस्त होने के पश्चात सब जज–1, पटना के द्वारा फाईनल डिक्री तैयार की गयी तथा प्रश्नगत खेसरा 409 एराजी 20डी0 में से 17डी0 रेखा देवी, पिता चन्द्रमा सिंह को हिस्सा में मिला। रेखा देवी के नाम से जमाबंदी सं0 1187/1199/1193 कायम की गयी।

(6) रेखा देवी को अपने हिस्से में मिले खेसरा सं0 409 के 17डी0 की बिक्री दिनांक 09.09.2010 के निबंधित केवाला से आवेदकगण को कर दी गयी तथा दखल दिया गया।

(7) आवेदकगण के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{5824}{5}$ वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत दाखिल खारिज हो कर जमाबंदी सं0–3599 कायम की गयी।

(8) आवेदकगण के द्वारा खरीदगी भूमि पर जब निर्माण कार्य आरम्भ किया गया हो, विपक्षीगण के द्वारा स्वंय को खतियानी रैयत का वंशज बताते हुए प्रश्नगत भूखण्ड पर अपना दावा किया गया।

(9) खतियानी रैयत वंशी महतो की वंशावली के अनुसार विपक्षीगण वंशी महतो के वंशज है। वंशी महतो जब दिनांक 05.06.1930 को प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री कर चुके है तो फिर प्रश्नगत भूखण्ड पर वंशी महतो के वंशज का कोई दावा नहीं बनता है। रेखा देवी के द्वारा दायर टाईटिल पार्टीशन सूट में भी वंशी महतो के वंशज के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी थी। अतःविपक्षीगण का प्रश्नगत भूखण्ड पर दावा सही नहीं है।

(10) विपक्षीगण के द्वारा अंचल कर्मियों को मेल में लेकर अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा ली गयी है। विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदकगण के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 05.06.1930 का अनिबंधित केवाला एवं उसका हिन्दी अनुवाद

(2) रेखा देवी के नाम से निर्गत वर्ष 2010–11 की लगान रसीद

(3) टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 32/88 में पारित डिक्री

(4) दिनांक 09.09.2010 का निबंधित केवाला

(5) नरेश कुमार एवं रंजीत कुमार (आवेदक) के नाम से जमाबंदी सं0 3599 पर 17डी0 के लिए निर्गत वर्ष 2015–16 की लगान रसीद

विपक्षीगण के द्वारा दायर अपने लिखित प्रतिउत्तर में कहा गया है कि

(1) प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है तथा रद्द करने योग्य है, क्योंकि आवेदकगण के द्वारा यह नहीं बताया गया है कि किस जमाबंदी को रद्द किया जाना है।

(2) अन्य भूखण्डों के साथ प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी सं0 1227 / 4425 विपक्षीगण के पूर्वज के नाम से जमीन्दारी उन्मूलन के बाद से कायम है तथा सरकार को नियमित रूप से लगान अदा किया जाता रहा है। प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षीगण के शांतिपूर्ण दखल में है।

(3) आवेदकगण की जमाबंदी सं0 3599 दिनांक 09.09.2010 के केवाला के आधार पर कायम की गयी है, परन्तु रेखा देवी को दिनांक 09.09.2010 के केवाला के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड आवेदकगण को बेचे जाने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि रेखा देवी खतियानी रैयत की वंशज नहीं है, और न ही खतियानी रैयत या उनके वंशज के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड की किसी को बिक्री की गयी है।

(4) आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत खेसरा सं0 409 रकवा 20डी0 दिनांक 05.06.1930 के अनिबंधित केवाला के माध्यम से वंशी महतो के द्वारा रामानंद सिंह को बेचे जाने की बात कही जा रही है, परन्तु वंशी महतो की मृत्यु दिनांक 25.01.1925 को ही हो गयी थी। इस स्थिति में वंशी महतो के द्वारा दिनांक 05.06.1930 को प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उक्त अनिबंधित केवाला फर्जी है। रामानंद सिंह या उनके वारिसान कभी भी प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में नहीं आये।

(5) जहाँ तक टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 32 / 1988 अथवा प्रथम अपील अथवा द्वितीय अपील की बात है, तो उक्त पार्टीशन सूट में विपक्षीगण पक्षकार नहीं थे, अतः उसका आदेश उन पर लागू नहीं होता।

(6) विपक्षीगण के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर सबजज--1 पटना के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 297 / 2016 दायर किया गया है।

(7) विपक्षीगण के द्वारा अपनी जमाबंदी सं0 1227 / 4425 को बरकरार रखने तथा आवेदकगण की जमाबंदी सं0 3599 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के द्वारा स्वत्व वाद सं0 297 / 2016 की याचिका की सत्यापित प्रति की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

इस वाद के महत्त्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार है।

(1) आवेदकगण विपक्षी की किस जमाबंदी को रद्द करने हेतु यह वाद लाये है, उनके आवेदन में उक्त जमाबंदी संख्या दर्ज नहीं है। इस स्थिति में आवेदन विचार योग्य नहीं है।

(2) आवेदकगण के द्वारा खेसरा सं0 409 एराजी 20डी0 एवं खेसरा सं0 647 एराजी 11डी0 कुल 31डी0 की खरीद मात्र 50(पच्चास) रूपये में दिनांक 05.06.1930 के अनिबंधित केवाला से किये जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि विपक्षी के द्वारा वर्ष 1930 के बिक्रेता वंशी महतो का दिनांक

25.01.1925 को ही मृत्यु होना बता रहे है।

यदि बंशी महतो के द्वारा वर्ष 1930 में प्रश्नगत खेसरों के कुल एराजी 31डी0 की बिक्री रामानंद सिंह को कर दी गयी थी, तो फिर रामानंद सिंह के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का लगान भूतपूर्व जमीन्दार को दिया जाता रहा होगा। भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा रामानंद सिंह के नाम से रिर्टन दाखिल किया गया होगा तथा जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात रामानंद सिंह के नाम से बिहार सरकार के सरिस्ता में जमाबंदी दर्ज की गयी होगी। परन्तु आवेदकगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। इस स्थिति में दिनांक 05.06.1930 का उक्त अनिबंधित केवाला संदेहास्पद हो जाता है।

(3) आवेदकगण का दावा है कि टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 32/88 से प्रश्नगत खेसरा सं0 409 एराजी 17डी0 रेखा देवी को हिस्से में मिला। आवेदकगण के द्वारा टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 32/88 में पारित डिक्री की सत्यापित प्रति की छाया–प्रति दाखिल की गयी। उक्त डिक्री के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(क) रामानंद सिंह के द्वारा जब वर्ष 1930 के अनिबंधित केवाला से खेसरा सं0 409 एराजी 20डी0 के साथ खेसरा सं0 647 एराजी 11डी0 का भी क्रय किया था, तो फिर डिक्री में खेसरा सं0 647 सन्निहित क्यों नहीं है?

(ख) उक्त डिक्री दिनांक 24.04.1990 का हस्ताक्षरित है, पुनः दिनांक 21.01.1991 को कुछ खेसरो को काटते हुए Delitted vide order dated 19.01.1991 एवं Ammended vide order dated 19.01.1991 अंकित किया गया है। कुछ अन्य खेसरों के साथ खेसरा सं0 409 भी कटा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अन्य खेसरों के साथ खेसरा सं0 409 को भी डिक्री से विलोपित कर दिया गया था। अतः उक्त डिक्री के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड पर रेखा देवी का दावा संदेहास्पद हो जाता है।

(4) प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर विपक्षीगण के द्वारा व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 297/2016 दायर किया गया है, जिसमें इस वाद के आवेदकगण को पक्षकार बनाया गया है।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदकगण के द्वारा इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया कि विपक्षीगण की जमाबंदी अवैध रूप से कायम है। जहाँ तक प्रश्नगत भूखण्ड पर स्वत्व एवं दखल का प्रश्न है, उसका निर्णय सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही हो सकता है। स्वत्व एवं दखल के निर्धारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद दायर है।

आवेदक का आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखाषित एवं संशोधित।

9/6/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

9/6/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना